उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
आयोग भवन, हरिद्वार।
email : soexamtwo2@gmail.com

संख्याः— 71 /25/ E-2/CJ-JD/2018-19 दिनांक : 14 अगस्त, 2020

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या— A-3/E-2/CJ(JD)/2018-19 दिनांक 01 जून, 2019 के क्रम में **उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा—2019 हेतु सम्पन्न मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 22 मई, 2020** में साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा **दिनांक 17 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2020** को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित की जायेगी। साक्षात्कार परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थी, आयोग की बेवसाईट पर प्रसारित **शासनादेश संख्याः 505/USDMA/792(2020) दिनांक 04 अगस्त, 2020 में कोविड—19** के तहत वर्णित प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन करते हुये अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम, साक्षात्कार ज्ञाप एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** से **दिनांक 18.08.2020** से डाउनलोड कर सकते है तथा साक्षात्कार ज्ञाप में वर्णित निर्देशानुसार समस्त प्रपत्रों को भरकर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं आरक्षण से सम्बधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि को साक्षात्कार कार्यक्रम में उल्लिखित समयानुसार मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार की सूचना एवं साक्षात्कार से संबंधी प्रपत्र इत्यादि प्रेषित नहीं किए जायेंगे। साक्षात्कार परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

2. प्रश्नगत साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के दिन निम्नलिखित दिशा—निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य हैः—

(1) अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार परीक्षा स्थल पर फेस मास्क एवं सेनेटाईजर लेकर आना अनिवार्य है।
(2) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
(3) अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल साथ रखें।
(4) परिसर में अनावश्यक इधर—उधर विचरण नहीं करेंगे।
(5) एक—दूसरे से छह फीट की दूरी का पालन स्वंय भी करेंगे।
(6) खांसते या छींकते समय टीश्यू पेपर/रूमाल से मुंह और नाक को ढंके। टिश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालें।
(7) परिसर में इधर—उधर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

-sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।